न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (रैफ.) संख्या 14/17 वर्ष 2017

बउनवानी:–

1. केलाश चन्द पुत्र गोकुल माली निवासी कुश्तला तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. चिरंजी लाल पुत्र गोकुल माली निवासी कुश्तला तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. गोपाल पुत्र गोकुल माली निवासी कुश्तला तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम अधिकारी(भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. केदार प्रसाद पुत्र गोकुल माली निवासी कुश्तला, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

(रैफरेन्स प्रार्थना विरूद्व आदेश 16.3.2016 भूमि अवाप्ति अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 3(G)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956)

उपस्थित:–1. श्री गजानन्द गोयल — वकील प्रार्थी संख्या 1–3
2. श्री महावीर चौधरी — पैरोकार राजस्व अप्रार्थी 1
3. श्री दिनेश कुमार यादव — वकील अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :– दिनांक 22.5.2019

प्रार्थीगण द्वारा यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3(G)(5) के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 16.3.2016 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 के 2 लेन चोडीकरण हेतु ग्राम कुस्तला तहसील सवाईमाधोपुर के ख0न0 3401 रकबा 0.162 है0 भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (घ) मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II,खण्ड–3(II) में दिनांक 14.7.2016 को उदघोषित करते हुए पारित किये गया अवार्ड विधि विरूद्व व वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने बाबत कथन करते हुए उक्त आदेश को निरस्त करने बाबत यह रेफरैन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

रैफरेन्स प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी ख0न0 3401 रकबा 0.162 है0 वाके ग्राम कुस्तला में स्थित है जिसको अधिनियम की धारा 3(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 3030692/–रू प्रति बीघा के डी.एल.सी. रेट के हिसाब से मुआवजा राशि के 1295000/–रूपयें का अवार्ड पारित कर दिया जिसकी सूचना प्रार्थीगण को एक नोटिस दिनांक 26.12.2016 को जारी होने के बाद मिली है जिसके विरूद्व प्रार्थी ने जिला जज साहब सवाईमाधोपुर के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे न्यायालय जिला जज साहब ने दिनांक 23.2.2017 को यह निर्णय दिया है कि प्रार्थीगण सर्वप्रथम श्रीमान के यहॉ नेशनल हाईवे एक्ट की धारा **3(G)(5)**के अनुसार कार्यवाही करें इस तरह श्रीमान के यहॉ अवार्ड राशि मार्केट रेट से दिलवायी जावे। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने धारा 4(G)(1)(2)(3) के तहत किसी भी दो लोकल न्यूज पेपर में प्रार्थीगण से किसी भी तरह की मुआवजा संबंधी आपत्ति मांगने हेतु दो अखबारों में विज्ञापन नही निकलवाया न ही कोई सूचना दी इसी कारण प्रार्थी

डॉ0 एस.पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अप्रार्थी संख्या 1 के यहॉ तत्समय उपस्थित नही हुए। दिनांक 26.12.2.016 को नोटिस मिलने के बाद प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के यहॉ एक आपत्ति बाबत मुआवजें राशि कम आंकलन हेतु यानि अवार्ड राशि कम देने हेतु पेश किया जिसके साथ आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात की नकले भी पेश की परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर किसी तरह की कोई कार्यवाही आज तक भी नही की गयी है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 9.1.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 के यहॉ अवार्ड संबंधी मामले को धारा 3(G)(5) के तहत आर्बिटेटर यानि श्रीमान के यहॉ भेजने के लिए निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को यह कहा कि जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर ने बतौर आर्बीटेटर ही नोटिस में वर्णित राशि के अनुसार अवार्ड पारित किया है और उसी के अनुसार प्रार्थीगण को दिनांक 26.12.2016 को नोटिस जारी किया है परन्तु जिला जज साहब सवाईमाधोपुर ने दिनांक 23.2.2017 को श्रीमान के यहॉ कार्यवाही करने हेतु निर्णय दिया है। यह कथन भी किया कि तथाकथित अवार्ड दिनांक 26.12.2016 के अनुसार प्रार्थीगण को डीएलसी रेट के अनुसार ही मुआवजा राशि तय की गयी है जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 3(G)(7) के अनुसार भूमि की मार्केट रेट के अनुसार अवार्ड राशि का अवार्ड पारित होना चाहिए था तथा मार्केट रेट डीएलसी रेट से 2½ गुना होती है इसी कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पारित अवार्ड 26.12.2016 अपास्त होने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को बिना सुने ही नोटिस में वर्णित राशि का अवार्ड पारित किया है इस कारण नेचुरल जस्टिस के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पारित अवार्ड राशि आदेश अपास्त होने योग्य है एवं प्रार्थीगण बाजार मूल्य के अनुसार भूमि अवाप्ति बतौर मुआवजे राशि 36 लाख रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने जो तथाकथित अवार्ड राशि देना निश्चित किया है वह अनफेयर है इस कारण तथाकथित आदेश अपास्त होने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थीगण की माता रामकन्या व पिता गोकुल ने उनके जीवनकाल में नारायण नाम के व्यक्ति को गोद नही लिया एवं ऐसे किसी गोद पत्र पर गोकुल व रामकन्या के हस्ताक्षर या निशानी नही है अप्रार्थी संख्या 2 केदार प्रसाद को 29.7.1968 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुस्तला में गोकुल ने स्कूल में भर्ती कराया था जिसमे केदार प्रसाद की वल्दियत गोकुल ही लिखाई नारायण नही, यही नही पंचायत मतदाता सूची 1994 मे भी क्र.स. 66 में केदार के पिता का नाम गोकुल अंकित है परन्तु पटवारी हल्का द्वारा फर्जीयत रचते हुए नारायण की मृत्यु 28.8.1965 के होने के बाद काफी वर्षो बाद तत्कालीन सरपंच से फर्जीयत रचते हुए केदार के नाम नामान्तरकरण खुलवाने से केदार को कोई टाईटल नही मिलता है क्योकि नामा0 की कार्यवाही समरी प्रोसीडिंग है जो राजस्व की वसूली तक ही सीमित है जो बिना प्रार्थीगण को सुने की गयी है। प्रार्थीगण ने न्यायालय वरिष्ठ सिविल जजी सवाईमाधोपुर के यहॉ दिनांक 12.2.2016 को तकासमा व इन्द्राज दुरूस्ती का एक दावा भी पेश कर दिया है जो पेण्डिग है। इस प्रकार वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पारित अवार्ड एवं नोटिस दिनांक 26.12.2016 अपास्त फरमाने तथा प्रार्थीगण को बाजार मूल्य यानि 36 लाख रूपये की मुआवजा राशि ख0न0 3401 रकबा 0.162 है0 वाके ग्राम कुस्तला तहसील सवाईमाधोपुर के संबंध में 3/4 हिस्सा प्रार्थीगण को दिलवाने के आदेश प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से कथन किया कि ग्राम कुस्तला के ख0न0 3401 रकबा 0.162 है0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 टोंक सवाईमाधोपुर को 2 लेन मे उन्नयन हेतु अवाप्ति की अधिसूचना नियम 3ए की अधिसूचना दिनांक 17.7.2015 एवं 18.8.2015 को प्रकाशित की गयी है तथा नियम 3 डी की

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अधिसूचना कमांक 1105 दिनांक 16.3.2016 का प्रकाशन दिनांक 20.7.2016 को हुआ है। तथा प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने अवाप्त भूमि के संबंध में नोटिस नही दिये जाने बाबत निराधार विवेचन किया है क्योंकि प्रार्थीगण को सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति)ने नियमानुसार दिनांक 26.12.2016 को नोटिस जारी किया गया जिसपर प्रार्थी गोपाल ने दिनांक 28.12.2016 को प्राप्त कर प्राप्ति बाबत हस्ताक्षर किये गये है तथा अप्रार्थी केदार द्वारा उक्त नोटिस में अंकित मुआवजा राशि हिस्सानुसार भुगतान करने बाबत तहसीलदार को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में सूचना प्राप्त नही होने बाबत अंकित तथ्य मनगढन्त, असत्य एवं निराधार है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 अवाप्ति नियमों के तहत नियमानुसार सार्वजनिक हित में टोंक सवाईमाधोपुर राजमार्ग संख्या 116 को 2 लेन बनाये जाने हेतु एल.ए.पी.(संरेखण में) प्रमाणित भूमि अवाप्त की गयी है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थना का मद संख्या 4 मे अंकित तथ्य मनगढण्त एवं बनावटी है क्योकि ग्राम कुस्तला में प्रार्थीगण की अवाप्त की गयी भूमि ख0न0 3401 रकबा 0.162 है0 मुताबिक सर्वे सूची Sai Engg. Company सड़क टोंक–सवाईमाधोपुर से 200 मीटर की दूरी पर है जिसका मुआवजा तत्समय प्रचलित बाजार दर 3030692/–रूपये प्रति है0 के हिसाब से अवाप्त की गयी भूमि की राशि 490972.10 /–रू होती है जिसकी 2½ गुना राशि 1295709/– रू होती है इस पर भी क्षतिपूर्ति भत्ता राशि 68278.75/–रू जोडकर कुल मुआवजा राशि 1295709/–रू का निर्धारण किया गया है जो कि प्रार्थीगण की मांग के अनुसार ही है। जहॉ तक बाजार दर का प्रश्न है तो पटवारी हल्का से तलब की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कुस्तला की उक्त भूमि की बाजार भाव 6–7 लाख रू प्रति बीघा अर्थात 2800000/–रू अठाईस लाख रूपये प्रति है0 बतायी गयी है जबकि प्रार्थीगण को मुआवजा राशि 3030692/–रू प्रति है0 के हिसाब आकलन करते हुए डीएलसी रेट का 2½ गुना राशि दी गयी है। इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को मुआवजा राशि उनकी मांग के अनुसार ही दी गयी है जिसके किसी प्रकार की दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित नही है। जहॉ तक प्रार्थना पत्र के मद संख्या 7 का प्रश्न है तो उक्त मद में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी केदार को गोकुल का पुत्र होना बताया है तथा नारायण का फर्जी दत्तक पुत्र बताकर मुआवजा राशि सभी पक्षकारों के मध्य बराबर हिस्से मे दिलवाने बाबत कथन किया गया है किन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा का हिस्सा अवाप्ति के समय उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही किया गया है तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड अवाप्त की गयी भूमि का अप्रार्थी केदार 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है इसलिए मुआवजा राशि भी 1/2 हिस्सा बनती है तदानुसार ही उसे 1/2 हिस्सा राशि देने का निर्णय किया गया है जो विधिसम्मत है। पक्षकारों के मध्य उक्त अवाप्त भूमि के तकासमा का दावा सिविल न्यायालय मे जैरकार है जिसमे पक्षकारान का हिस्सा तय होना है। पक्षकारान का हिस्सा तय किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया है इसलिए प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दौराने बहस कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा हम प्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 3401 रकबा 0.162 है0 प्रर्योजनार्थ अवाप्त की गयी है जिसमे प्रार्थी केदार 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो मुआवजा निर्धारित किया गया है वह नियमानुसार ही किया गया है प्रार्थी उक्त मुआवजा राशि से संतुष्ट है तथा अपने हिस्से की राशि लेने के लिए तैयार है। इसलिए प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निवेदन किया गया ।

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हॅ कि वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य आधार भूमि अवाप्ति अधिकारी(तहसीलदार सवाईमाधोपुर)के आदेश दिनांक 16.3.16 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 के 2 लेन चोडीकरण हेतु ग्राम कुस्तला तहसील सवाईमाधोपुर के ख0न0 3401 रकबा 0.162 है0 अवाप्त की गयी की मुआवजा राशि बाजार दर से 2½ गुना दिलवाये जाने एवं अप्रार्थी केदार पुत्र गोकुल को नारायण का दत्तक पुत्र नही मानते हुए गोकुल का पुत्र मानकर उक्त मुआवजा राशि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 के मध्य बराबर हिस्सा दिलवाने बाबत पेश किया गया है। किन्तु मुताबिक रिपोर्ट भूमि अवाप्ति अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि ख0न0 3401 रकबा 0.162 है0 मुताबिक सर्वे सूची Sai Engg. Company सड़क टोंक–सवाईमाधोपुर से 200 मीटर की दूरी पर है जिसका मुआवजा तत्समय प्रचलित बाजार दर 3030692/–रूपये प्रति है0 के हिसाब से अवाप्त की गयी भूमि की राशि 490972.10/–रू होती है एवं जिसकी 2½ गुना राशि 1295709 /– रू होती है इस पर भी क्षतिपूर्ति भत्ता राशि 68278.75/–रू जोडकर कुल मुआवजा राशि 1295709/–रू का निर्धारण किया गया है जो कि प्रार्थीगण की मांग के अनुसार ही है। तथा पटवारी हल्का कुस्तला की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कुस्तला की उक्त भूमि की बाजार भाव 6–7 लाख रू प्रति बीघा अर्थात 2800000/–रू अठाईस लाख रूपये प्रति है0 बतायी गयी है जबकि प्रार्थीगण को मुआवजा राशि 3030692/–रू प्रति है0 के हिसाब आकलन करते हुए डीएलसी रेट का 2½ गुना राशि दी गयी है। इस प्रकार पैरोकार राजस्व द्वारा किया गया यह कथन कि प्रार्थीगण को मुआवजा राशि डीएलसी दर से 2½ गुना दी गयी है की पुष्टि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से बखुबी हो जाती है। जहॉ तक प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 के मध्य मुआवजा राशि का बराबर हिस्से मे निर्धारण किये जाने का प्रश्न है तो उक्त संबंध में पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय मे प्रकरण जैरकार है जिसमे पक्षकारान का हिस्सा तय होना है। पक्षकारान के मध्य हिस्से का बंटवारा किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अवार्ड विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैद्यानिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणों की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3(G)(5) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.5.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: